संख्या-23/2026/603/58-2026-2031460

प्रेषक,

संजीव कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 27 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत चालू योजना के लेखाशीर्षक-2406-02-112-03-उद्यान की योजना में रू0-30.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0163/बजट/2025-26, दिनांक 10.03.2026 के सन्दर्भ में शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-बजट-1-720/ई-1/दस-2026, दिनांक-25.03.2026 एवं पृष्ठांकन संख्या-774/58-2026-2031460, दिनांक-27.03.2026 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2406-02-112-03-उद्यान की योजना के मानक मद 01-वेतन में धनराशि रू0-30.00 लाख की उपलब्ध हो रही बचतों को पुनर्विनियोग के माध्यम से योजना के मानक मद-29-अनुरक्षण में रू0-10.00 लाख, 42-अन्य व्यय में रू0-10.00 लाख एवं सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में रू0 10.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 30.00 लाख (रू0 तीस लाख मात्र) स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगा।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(7) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के प्राविधानों के अनुसार नियंत्रक अधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2406021120300 (उद्यान-)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2406021120300 उद्यान-	29 अनुरक्षण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
2	010	2406021120300 उद्यान-	42 अन्य व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	010	2406021120300 उद्यान-	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**30,00,000** **(रुपये तीस लाख मात्र)**

महायोग	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या- 23/2026/603(1)/58-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ-द्वारा निदेशक।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजीव कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

https://shasana